

# न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 17/2019 आवंटन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये  
तहसीलदार हुरडा

बनाम

1. जगदीश पिता अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा
2. राजू पिता अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा
3. गोदु पिता अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा
4. चन्दा पुत्री अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा
5. प्रेम पुत्री अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा
6. मेवा पुत्री अनोपनाथ कालबेलिया निवासी आजाद नगर तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थी

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —

1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं — एक तरफा कार्यवाही

## निर्णय

दिनांक 25-11-2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरुद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम गरवर पटवार भीमलत की आ.न. 173/8 रकबा 10.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटि के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटि (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटि का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2019 को दायर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि



अति जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा


विपक्षी को ग्राम गरवर पटवार हल्का भीमलत की आ.न. 173/8 रकबा 10.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम गरवर के आ.न. 173/8 रकबा 10.00 बीघा भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव—

### आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत भू-आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी के नाम आवंटित ग्राम गरवर के आराजी नं. 173/8 रकबा 10.00 बीघा भूमि आवंटन को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम गरवर की आ.न. 173/8 रकबा 10.00 बीघा भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25-11 .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राकेश कुमार)  
अति. जिला कलेक्टर  
भीमवाड़ा

